भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *359
उत्तर देने की तारीख 12.12.2019

कृषि और ग्रामीण उद्योगों का बंद होना

*359. श्रीमती रंजीता कोलीः
श्री सदाशिव किसान लोखंडेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विगत तीन वर्षों के दौरान अनेक कृषि और ग्रामीण उद्योग बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) उपर्युक्त उद्योगों को स्थापित करने तथा बंद करने से संबंधित प्रावधान क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 12.12.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *359 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): भारत सरकार देश में कृषि और ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती आ रही है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है जो कि एक प्रमुख क्रेडिट सम्बद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके कुटीर, खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों सहित गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करके स्व-रोजगार के अवसरों को सृजित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, विभिन्न श्रेणियों के लिए 15% से लेकर 35% की सब्सिडी के साथ लाभार्थी विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रु. तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रु. तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2008-09 में इसके प्रारंभ से 2019-20 (31.10.2019 तक) अनुमानित 47 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हुए 12902 करोड़ रु. की मार्जिन मनी से कुल लगभग 5.70 लाख सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।

पीएमईजीपी स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इकाइयों की स्थापना के 24 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत और 36 माह से पहले तथा आउटसोर्स की गई एजेंसियों के माध्यम से इकाइयों का 100% वास्तविक सत्यापन किया जाता है। तदनुसार, वर्ष 2008-09 से लेकर 2014-15 की अवधि के लिए वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह पाया गया है कि औसतन लगभग 80% पीएमईजीपी इकाइयां कार्यशील हैं और शेष या तो बंद हो गई है अथवा मूल पंजीकृत स्थान पर मौजूद नहीं पाई गई हैं।

रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के विस्तार/उन्नयन के लिए दूसरी वित्तीय सहायता की स्कीम भी शुरू की है। गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 15% तथा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20% की सब्सिडी के साथ विनिर्माण इकाइयों के लिए दूसरी वित्तीय सहायता 1.00 करोड़ रु. तक तथा सेवा/व्यापारिक इकाइयों के लिए 25.00 लाख रु. तक है।

*****